राज्यपाल सचिवालय
बिहार लोक भवन, पटना–800022

पत्रांक- Univ./Misc.(FO)-89/2026-**2706** /रा.स.(I), दिनांक- **04.11.2026**

प्रेषक,

संजय कुमार, भा. प्र. से.
राज्यपाल के अपर सचिव ।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वित्त विभाग, बिहार, पटना।

विषयः- **बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा के पदाधिकारियों का विभिन्न विश्वविद्यालयों में वित्त पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन संबंधी वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-1/स्था० (ले०से०)-15/2021-10069, दिनांक-30.10.2026 के क्रमांक-1, 49 एवं 61 पर अंकित पदाधिकारियों के पदस्थापन आदेश को स्थगित (Keep in Abeyance) रखने के संबंध में।**

संदर्भः-

1. **वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-1/स्था० (ले०से०)-15/2021-10069, दिनांक-30.10.2026**
2. **माननीय कुलाधिपति महोदय के आदेश द्वारा अधिसूचित The Bihar Universities Finance Officer (Appointment, Service Conditions, Powers and Duties) Statute, 2026, अधिसूचना संख्या- L/STA/FO/01/2026-2299/GS(I), दिनांक-01.10.2026**

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय एवं संदर्भ के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा संदर्भित अधिसूचना दिनांक-30.10.2026 के माध्यम से बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को विभिन्न विश्वविद्यालयों में वित्त पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किया गया है:-

क्र. सं.	पदाधिकारी का नाम	नव पदस्थापन
1.	श्री नन्द किशोर सिंह	वित्त पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर
49.	श्री जयन्त कुमार	वित्त पदाधिकारी, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना
61.	श्री चन्दन कुमार	वित्त पदाधिकारी, पटना विश्वविद्यालय, पटना

2. इस संबंध में उल्लेखनीय है कि माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा दिनांक-01.10.2026 को The Bihar Universities Finance Officer (Appointment, Service Conditions, Powers and Duties) Statute, 2026 अधिसूचित किया गया है, जो दिनांक-30.09.2026 से प्रभावी है। उक्त परिनियम के कंडिका-2(1) के अनुसार विश्वविद्यालयों में वित्त पदाधिकारी की नियुक्ति

निर्धारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जानी है। परिनियम की कंडिका-3 से 6 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन, चयन एवं योग्य अभ्यर्थियों का पैनल तैयार करने तथा उक्त पैनल से माननीय कुलाधिपति द्वारा नियुक्ति किए जाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

3. चूँकि उक्त परिनियम दिनांक-30.09.2026 से प्रभावी है तथा वित्त विभाग द्वारा संबंधित पदस्थापन आदेश दिनांक-30.10.2026 को निर्गत किया गया है, अतः उक्त पदस्थापन आदेश का क्रमांक-1, 49 एवं 61 के संबंध में क्रियान्वयन अधिसूचित परिनियम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है।
4. अतः अनुरोध है कि माननीय कुलाधिपति महोदय के आदेश द्वारा अधिसूचित The Bihar Universities Finance Officer (Appointment, Service Conditions, Powers and Duties) Statute, 2026 के प्रावधानों के आलोक में उक्त मामले की समीक्षा होने तक वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक-30.10.2026 के क्रमांक-1, 49 एवं 61 के अंतर्गत संबंधित पदाधिकारियों के विश्वविद्यालयों में वित्त पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन संबंधी आदेश के क्रियान्वयन को तत्काल प्रभाव से स्थगित (Keep in Abeyance) रखने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन,
ह०/-
(संजय कुमार)
राज्यपाल के अपर सचिव

ज्ञापांक- Univ./Misc.(FO)-89/2026-**2706** /रा.स.(I), दिनांक- **04.11.2026**

प्रतिलिपिः- **सचिव**, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/-
राज्यपाल के अपर सचिव

ज्ञापांक- Univ./Misc.(FO)-89/2026-**2706** /रा.स.(I), दिनांक- **04.11.2026**

प्रतिलिपिः- कुलपति, बी. आर. ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर/ पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना / पटना विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
राज्यपाल के अपर सचिव

ज्ञापांक- Univ./Misc.(FO)-89/2026-**2706** /रा.स.(I), दिनांक- **04.11.2026**

प्रतिलिपिः- राज्यपाल के विशेष कार्य पदाधिकारी/ अपर मुख्य सचिव कोषांग / संयुक्त -निदेशक (IT), NIC/ IT Manager को राज्यपाल सचिवालय, बिहार के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित / गार्ड फाईल।

4/11/26
राज्यपाल के अपर सचिव